पत्रांक 1595 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियां, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी।

पटना–15, दिनांक– 24/05/15

विषयः **दिनांक 21.04.2015 के रात्रि में आए भीषण चक्रवाती तूफान से हुए गृह क्षति का सर्वेक्षणोपरान्त प्रतिवेदन भेजने एवं गृह क्षति अनुदान वितरण करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले में दिनांक 23.04.2015 के रात्रि में आए भीषण चक्रवाती तूफान से हुए गृह क्षति का सर्वेक्षण यथाशीघ्र कराकर गृह क्षति अनुदान का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। संशोधित सहाय्य मानदर के अनुसार पूर्णतः क्षतिग्रस्त अथवा अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का एवं कच्चा मकानों के लिए 95,100/– रू0 प्रति मकान की दर से अनुदान देय है। इसीप्रकार आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का मकान के लिए 5,200/– प्रति मकान, कच्चा मकान के लिए (झोपड़ी छोड़कर) 3,200/– रू0 प्रति मकान एवं क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी के लिए 4,100/– प्रति झोपड़ी की दर से अनुदान अनुमान्य है। अगर मकान के साथ पशु सेड जुड़ा हुआ है तथा क्षतिग्रस्त हो गया है तो 2,100/– रू0 प्रति पशु सेड की दर से अनुदान देय है।

अनुरोध है कि क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावित परिवारों को गृह क्षति अनुदान का भुगतान करते हुए राशि की अधियाचना करने की कृपा की जाए एवं सर्वेक्षणोपरान्त यथाशीघ्र गृह क्षति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

24/5/15

(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव